

1208

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी) ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ...खान्वा...



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 654 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.म.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	26	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजद नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी आंजीवार्ड पालि अदन जाट आ. देड रदन राजस्थान ग्रामीण आर्भीण बैंक आखा अयासन</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी आंजीवार्ड पालि अदन जाट आ. देड रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक आखा अयासन</p> <p>५११/०३.१०.२५ तहसीलदार कपासन जिला-चितौड़गाढ (राज.)</p>	<p>तहसारीदार कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खान्वा</u> का <u>खेड़ा</u> प.ह. <u>नुरविधा खुर्द</u> खातासं <u>26</u> में वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर की जगह से (अधिकारी)</p>
			<p>3/10/2025 तहसील व पालिका जिला चितौड़गाढ (राज.)</p> <p>हरसाधन गौरासुंदर हरसाधन व गोहर तहसीलदार</p>	